N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. District (जिला): JAIPUR (WEST) P.S. (थाना): KARNIVIHAR Year (वर्ष): 2026

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0278 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 10/06/2026 18:27 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
4	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	3
5	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	5
6	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	21
7	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	23
8	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	3
9	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	4

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 01/05/2025 Date To (दिनांक तक): 13/03/2026

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई) Date (दिनांक): 10/06/2026 Time (समय): 18:15 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 056 Date & Time (दिनांक एवं समय) 10/06/2026 18:15:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1 (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): पश्चिम, 2.44 किमी Beat No. (बीट सं.) : धावास

(b)Address(पता): C19, FLAT NO. S1, AMARPALI NAGAR, DHAWAS

(c)In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SUNIL GARG

(b) Father's Name (पिता का नाम): KALICHARAN GARG

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1973 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड,मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान सं.)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	C19, FLAT NO. S1, AMARPALI NAGAR, DHAWAS, KARNIVIHAR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, 302034, INDIA
2	स्थायी पता	C19, FLAT NO. S1, AMARPALI NAGAR, DHAWAS, KARNIVIHAR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, 302034, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9116414243

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHESH SAINI		पिता:NANAKRAM	1. 227A,JANPATH ROAD,GALI NO. 03,RANISATI NAGAR,SHYAM NAGAR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,I
2	MANJU SAINI		पति:MAHESH SAINI	1. 227A,JANPATH ROAD,GALI NO. 03,RANISATI NAGAR,SHYAM NAGAR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,I
3	KISHOR KANWADIYA			1. TOPKHANO KA RASTA,CHANPOLE,KOTWALI JAIPUR,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,I

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,50,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,50,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम- 5 जयपुर महानगर जयपुर द्वितीय परिवाद संख्या /2026 सुनील गर्ग पुत्र श्री कालीचरण गर्ग, निवासी प्लाट नंबर सी-19, फ्लेट नंबर एस-1, आम्रपाली नगर, धावास, पांच्यावाला, जयपुर, राज० 302034 प्रार्थी/परिवादी बनाम 1. महेश सैनी पुत्र श्री नानकराम, आयु 48 वर्ष, निवासी प्लाट नंबर 227ए, रानी सती, नगर, गली नंबर 3 जनपथ रोड, अजमेर रोड, जयपुर मोबाईल नंबर 9314142288, 2. श्रीमती मंजू सैनी पत्नी महेश सैनी निवासी प्लाट नंबर 227ए, रानी सती, नगर, गली नंबर 3 जनपथ रोड, अजमेर रोड, जयपुर 3. किशोर कनवाडिया पुत्र नामालूम, 37-5099 निवासी तोपखानों का रास्ता, चांदपोल, कोतवाली, जयपुर, राज० मोबाइल नंबर 7976140514 अभियुक्तगण परिवाद अन्तर्गत धारा 210 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 316 (2), 61 (2) भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 तथा अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 की धारा 3, 5, 21, 23, तथा इनामी चिट फण्ड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 की धारा 3 व 4 पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर। श्रीमान्जी, प्रार्थी/परिवादी की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद पत्र निम्न प्रकार पेश है - 1-यह कि प्रार्थी/परिवादी वर्तमान में उनवान में दर्ज पते पर स्थायी रूप से मय परिवार रिहायश कर रहा है। 2-यह कि अभियुक्त संख्या 1 महेश सैनी पुत्र श्री नानकराम, निवासी झोटवाडा, जयपुर जिसका मोबाईल नंबर 9314142288, तथा अभियुक्त संख्या 1 महेश सैनी की पत्नी अभियुक्त संख्या 2 श्रीमती मंजू सैनी एवं अभियुक्त संख्या-3 किशोर कनवाडिया मोबाइल नंबर 7976140514 माह मई वर्ष 2025 में प्रार्थी/परिवादी के निवास पर आये जो कि प्रार्थी/परिवादी के काफी पुराने अच्छे जानकार व परीचित रहे है अभियुक्तगण ने आकर प्रार्थी/परिवादी को बताया कि XPO.ru नामक वेबसाईट व मोबाईल एप्लिकेशन की जानकारी दी एवं बताया कि इसमें इन्वेस्ट करने पर मोटी राशि का मुनाफा मिलता है तथा हमने भी इसमें लाखों रूपये इन्वेस्ट कर रखे है। जिस पर प्रार्थी/परिवादी ने अभियुक्त संख्या -1 महेश सैनी, अभियुक्त संख्या 2 मंजू सैनी व अभियुक्त संख्या 3 किशोर कनवाडिया ने प्रार्थी/परिवादी को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप निश्चिंत रहो आप जो भी राशि इन्वेस्ट करोगे वह हमारी रिस्क पर करोगे तथा हम तीनों की जिम्मेदारी होगी, हमारे पास तो जितनी राशि भी जमा करवा दी अब आप हमारे खास जानकार हो इसलिए कह रहे है इसलिए आप हमारे पर विश्वास करके राशि इसमें इन्वेस्ट कर दो एवं कहा कि आप जो भी राशि लगाओगे उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी आप हमारे से ले लेना परन्तु यह मौका काफी अच्छा है बार बार नहीं मिलता और ना ही ऐसी योजना बार बार आती। इस पर प्रार्थी/परिवादी ने अभियुक्त संख्या -1 महेश सैनी, अभियुक्त संख्या 2 मंजू सैनी व अभियुक्त संख्या 3 किशोर कनवाडिया के उक्त कथनों पर विश्वास करके इन तीनों अभियुक्तगण के द्वारा प्रार्थी/परिवादी की ओर से इन्वेस्ट की गयी राशि की गारंटी लिये जाने पर प्रार्थी/परिवादी ने इस बाबत अपनी सहमति प्रदान कर दी। जिस पर उक्त दिनांक को ही तीनों अभियुक्तगण ने मिलकर प्रार्थी/परिवादी के

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	C19, FLAT NO. S1, AMARPALI NAGAR, DHAWAS, KARNIVIHAR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, 302034, INDIA
2	स्थायी पता	C19, FLAT NO. S1, AMARPALI NAGAR, DHAWAS, KARNIVIHAR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, 302034, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-9116414243

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHESH SAINI		पिता:NANAKRAM	1. 227A,JANPATH ROAD,GALI NO. 03,RANISATI NAGAR,SHYAM NAGAR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,I
2	MANJU SAINI		पति:MAHESH SAINI	1. 227A,JANPATH ROAD,GALI NO. 03,RANISATI NAGAR,SHYAM NAGAR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,I
3	KISHOR KANWADIYA			1. TOPKHANO KA RASTA,CHANPOLE,KOTWALI JAIPUR,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,I

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

मोबाईल नंबर 6376170410 पर उक्त XPO.ru नामक बेबसाईट की एप्लीकेशन लॉड कर दी। तथा इसमें किस प्रकार से क्या क्या करना है आदि बाबत जानकारी दी। तथा प्रार्थी/परिवादी से कहा कि जो भी राशि इन्वेस्ट करोगे जल्दी ही उसका मुनाफा मिलना शुरू हो जावेगा अब आप हमारी चैन के साथ जुड गये हो हम आपका पूरा ध्यान रखेगे तथा प्रार्थी/परिवादी से कहा कि अभी आप शुरूआत कर रहे हो इसलिए पहली किश्त के रूप में अभियुक्त संख्या 1 महेश सैनी को राशि 1,00,000/-रूपये का सेल्फ का चैक दिनांक 29.05.2025 को तथा दिनांक 11.06.2025 को जरिये यूपीआई के माध्यम से राशि 35,000/-रूपये अभियुक्त संख्या -1 महेश सैनी को तथा उक्त सभी के बताये अनुसार अन्य राशि के रूप में अभियुक्त संख्या 2 श्रीमती मंजू सैनी के खाते में डाल देने हेतु कहा गया। जिस पर प्रार्थी/परिवादी ने इन तीनों अभियुक्तगण पर विश्वास करके अभियुक्त संख्या -2 श्रीमती मंजू सैनी के बताये गये खाते में जरिये पेटीएम राशि 50,000/-रूपये अक्षरे पचास हजार रूपये डाल दिये तथा इसके पश्चात् इन तीनों के ही कहने पर दिनांक 04 जुलाई 2025 को प्रार्थी/परिवादी ने अपना सेल्फ का चैक जो कि कैनरा बैंक का था राशि 2,00,000/-रूपये अक्षरे दो लाख रूपये का इन तीनों के कहने पर अभियुक्त संख्या 1 महेश सैनी को दे दिया तथा अंत में दिनांक 17.10.2025 को राशि 5000/-रूपये अक्षरे पांच हजार रूपये जरिये यूपीआई अभियुक्त संख्या 1 महेश सैनी के खाते में डाले गये। इस प्रकार अभियुक्त संख्या 1 महेश सैनी उक्त चैक के माध्यम से प्रार्थी/परिवादी की उक्त राशि उक्त कंपनी में इन्वेस्ट करने के नाम पर प्राप्त की तथा इसी प्रकार से अभियुक्त संख्या महेश सैनी, अभियुक्त संख्या -2 श्रीमती मंजू व अभियुक्त संख्या -3 किशोर कनवाडिया के कहे अनुसार जरिये ऑन लाईन व नकद राशिंया उक्त योजना के तहत इन्वेस्ट करने के लिए देता रहा एवं माह मई, 2025 से माह अक्टूबर सन् 2025 तक कुल राशि 7,50,000/-रूपये अक्षरे सात लाख पचास हजार रूपये अदा कर चुका है। यह कि इसी दौरान माह जुलाई, 2025 में मुनाफे की राशि के रूप में 88,500/-रूपये अक्षरे अठ्यासी हजार पांच सौ रूपये इन तीनों अभियुक्तगण ने लाकर दिये एवं कहा कि देख लो हमारी बात सच हो गयी तथा इतनी जल्दी आपको किसी भी योजना में मुनाफा नहीं मिल सकता तथा उक्त राशि एवं ओर राशि की व्यवस्था कहीं से भी करके मोटी राशि की व्यवस्था करके इन्वेस्ट करने का प्रलोभन दिया जिस पर प्रार्थी/परिवादी, अभियुक्तगण की चिकनी चुपडी बातों में आ गया तथा अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा बताये अनुसार जैसे जैसे रूपयों की व्यवस्था होती गयी वैसे वैसे इनके कहने पर राशिंया इन्वेस्ट करता चला गया तथा कुल राशि 7,50,000/-रूपये अक्षरे सात लाख पचास हजार रूपये की राशि इन्वेस्ट कर दी। तथा उक्त दौरान अभियुक्त संख्या -1 महेश सैनी, अभियुक्त संख्या 2 श्रीमती मंजू सैनी एवं अभियुक्त संख्या 3 किशोर कनवाडिया ने प्रार्थी/परिवादी को कुल मुनाफे रूप में कुल राशि लगभग 2,00,000/- रूपये अक्षरे दो लाख रूपये का दिलवाया तथा उक्त राशि भी इन तीनों अभियुक्तगण ने मिलकर ओर अधिक मुनाफा के रूप में पुनः इसी योजना के तहत पूर्व की तरह आश्वस्त करते हुए अपनी रिस्क पर इन्वेस्ट करवा दिये। यह कि इसी दौरान प्रार्थी/परिवादी ने अभियुक्त संख्या -1 महेश सैनी, अभियुक्त संख्या 2 श्रीमती मंजू सैनी एवं अभियुक्त संख्या 3 किशोर कनवाडिया से कहा कि अब तो काफी मोटी राशि इन्वेस्ट हो गयी है तथा काफी समय से मुनाफा भी नहीं मिल रहा है, जिस पर इन तीनों अभियुक्तगण के द्वारा शीघ्र ही एक साथ मुनाफा मिलने का विश्वास दिलाया जाता रहा एवं कहा जाता रहा कि लाखों लोग इस योजना से जुडे हुए है तथा सभी को मुनाफा देना होता है कुछ समय लग रहा है और आपकी समस्त राशि की तो हमने जिम्मेदारी ले रखी है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आप तो हमारे कहने पर इन्वेस्ट कर रहे हो इस प्रकार ये तीनों अभियुक्तगण ने मिलकर उक्तानुसार टालमटोल करने लगे। 5-यह कि इसी दौरान माह नवम्बर, 2025 में जब उक्त कंपनी के द्वारा योजना के तहत एप्लीकेशन के माध्यम से खोले गये सभी खाताधारकों के खाते व ऐप बंद कर दिये गये। जिस पर प्रार्थी/परिवादी ने तीनों अभियुक्तगण से बात की तो ये तीनों अभियुक्तगण पूर्व की तरह टालमटोल करते हुए प्रार्थी/परिवादी को आश्वस्त करते रहे और राशि मय मुनाफा अदा करने का विश्वास दिलाते रहे। इसी दौरान दिनांक 21 दिसम्बर 2025 को भी अभियुक्त संख्या 1 महेश सैनी ने जरिये व्हाटसऐप मैसेज किया कि प्रार्थी/परिवादी अंदर की बात पता चली है आप निश्चिंत रहो, आप कंपनी से जुडे रहो। यह कि इसी दौरान प्रार्थी/परिवादी को पता चला कि उक्त कंपनी ने अनकों ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की है। जिस पर प्रार्थी/परिवादी ने इन तीनों अभियुक्तगण से बात की तो ये पूर्व की तरह प्रार्थी/परिवादी को आश्वस्त करते रहे तथा समस्त राशि मय मुनाफा अदा करने का विश्वास दिलाते रहे अंत में दिनांक 13.03.2026 को

प्रार्थी/परिवादी ने इनसे बात की तो भी अभियुक्तगण पूर्व की तरह टालमटोल करने लगे। जिस पर प्रार्थी/परिवादी ने कोई भी बात सुनने से साफ इंकार कर दिया तो अभियुक्तगण आवेशित हो गये तथा सभी जिम्मेदारियां XPO.ru नामक वेबसाईट कंपनी पर डाल दी गयी। यह कि इस प्रकार से अभियुक्त संख्या 1 महेश सैनी, अभियुक्त संख्या -2 श्रीमती मंजू एवं अभियुक्त संख्या -3 किशोर कनवाडिया ने XPO.ru नामक वेबसाईट के साथ मिलीभगत कर उक्त समस्त घटनाक्रम को अंजाम दिया है उक्त कंपनी के डायरेक्टर, कार्यालय आदि की कोई भी जानकारी काफी तलाशने पर भी प्रार्थी/परिवादी को नहीं मिली है तथा उक्त कंपनी ने अन्य भी सैकडों लोगों से आपसी मिलीभगत कर छल व धोखाधडीपूर्वक अपने एजेन्ट जिसमें ये तीनों अभियुक्तगण भी शामिल है के साथ आपसी मिलीभगत कर प्रार्थी/परिवादी की कुल राशि 7,50,000/-रूपये अक्षरे सात लाख पचास हजार रूपये की राशि हडप कर ली है। 8-यह कि अभियुक्तगण का उक्त कृत्य अंतर्गत धारा 316 (2), 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 की धारा 3, 5, 21, 23, तथा इनामी चिट फण्ड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 की धारा 3 व 4 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यह कि प्रार्थी/परिवादी उक्त आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाने बाबत पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर गया परन्तु उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं किये जाने पर उक्त आशय की लिखित शिकायत रिपोर्ट दर्ज करवाने बाबत पुलिस थाना करणी विहार, एवं पुलिस उपायुक्त पश्चिम जयपुर को लिखित शिकायत दी गयी। जिसके बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर श्रीमान्जी के समक्ष लिखित शिकायत पेश करना आवश्यक हुआ है। 10- यह कि अभियुक्तगण के द्वारा प्रार्थी/परिवादी के साथ उक्त समस्त आपराधिक घटनाक्रम प्रार्थी/परिवादी के निवास स्थान प्लाट नबर सी 19, फ्लेट नंबर एस-1, आम्रपाली नगर, धावास, पान्यावाला, जयपुर, राज0 302034 पर कारित किया है जो कि पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर में स्थित है। जो कि उक्त समस्त क्षेत्र पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित है। इसलिए माननीय न्यायालय को परिवाद ग्रहण कर निर्णित करने का क्षेत्राधिकार बखूबी हासिल है। 11- यह कि परिवाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। 12- यह कि अन्य तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष वर वक्त बहस अर्ज कर दिये जावेगे। अतः परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/परिवादी का परिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर परिवाद को 175 (3) जा० फौ० के तहत पुलिस थाना करणी विहार, जयपुर में वास्ते अनुसंधान जुर्म अंतर्गत धारा 318 (4), 316 (2), 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 की धारा 3, 5, 21, 23, तथा इनामी चिट फण्ड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 की धारा 3 व 4 में भेजे जाने के आदेश फरमावे जिससे कि अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा जुर्म अंतर्गत धारा 318(4), 316 (2), 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 की धारा 3, 5, 21, 23, तथा इनामी चिट फण्ड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 की धारा 3 व 4 में कानूनी कार्यवाही हो सके। जयपुर दिनांक 1/4/26 प्रार्थी/परिवादी सुनील उमार (सुनील गर्ग) -----कार्यवाही पुलिस------ प्रमाणित किया जाता है कि उक्त इस्तगासा जरिये डाक न्यायालय एसीएमएम नं. 05 जयपुर महानगर द्रितीय से परिवादी श्री सुनिल गर्ग पुत्र कालीचरण गर्ग निवासी प्लाट नं. 19 फ्लैट नं. एस-1 आम्रपाली नगर धावास थाना करणी विहार जयपुर का प्राप्त हुआ जिसकी नकल सीसीटीएनएस में अक्षर स अक्षर की गई मजमुन रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 318(4), 316(2), 61(2) बीएनएस व 3,5,21,23 जमा योजना प्रतिबंध 2019 व 3,4 धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 के वकु में आना पाया जाता है। तफ्तीश श्री अनिल शर्मा आर.पी. एस. सहायक पुलिस आयुक्त वैशालीनगर जयपुर के जिम्मे कि जाती है। सीसीटीएनएस के द्वारा प्रकरण संख्या जारी करने पर अकित किये जावेगे एफआईआर की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। बाद कायमी के मूल इस्तगासा एफआईआर श्रीमान एसीपी साहब वैशालीनगर जयपुर के पास भिजवाई जावेगी। एसडी विरेन्द्र कुमार स.उ.नि. थाना करणी विहार जयपुर पश्चिम दिनांक 10.6.26

13 Action taken Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):
or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): Anil Kumar Sharma Rank (पद): सहायक पुलिस आयुक्त
No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Virendra Kumar Yadav
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/06/2026 18:28:27

Name(नाम): Virendra kumar
Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspe
No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त, साईबर काईम, पुलिस आयुक्तालय जयपुर

कमाक – 199 दिनाक – 2/6/26

नोटिस अंतर्गत धारा 94 / 179 बीएनएसएस 2023

SUNIL KUMAR
KALICHARAN GARG
Plot No . C - 19, Flat No. - S - 1,
Amrapali Nagar Dhawas Panchyawala,Jaipur

विषय :– बीएनएसएस 2023 की धारा 94 / 179 के अंतर्गत उपस्थिति एवं साक्ष्य / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अधिकारिक नोटिस

प्रसंग :– अभियोग संख्या 59 / 2026 अंतर्गत धारा 319(2), 318(4), 316(2), 61(2)(b) बीएनएस 2023 एवं 66D आईटी एक्ट साईबर पुलिस थाना, पुलिस आयुक्तालय जयपुर ।

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता हैं कि साईबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले के अनुसंधान के दौरान तकनीकी साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ हैं कि आपके नाम पर पंजीकृत **मोबाईल नम्बर 7877822109** का उपयोग संदेहास्पद गतिविधियों में किया गया हैं। चूंकि आप उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं, इसलिए बीएनएसएस 2023 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं :–

उपस्थित (धारा 179 बीएनएसएस) आप नोटिस प्राप्ति के 05 योम कार्य दिवस में व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराएं।

साक्ष्य प्रस्तुतीकरण (धारा 94 बीएनएसएस) आप अपने साथ निम्नलिखित डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज अनिवार्य रूप से लाएं :– 1. उक्त सिम कार्ड और वह मोबाईल हैंडसेट (आईएमईआई सहित) जिसमें इसका उपयोग किया गया था। 2. केवाईसी दस्तावेज (आधार कार्ड / वोटर आईडी आदि) 3 उक्त मोबाईल नम्बर से जुडे बैंक खातों या वॉलेट (यूपीआई) का विवरण / स्टेटमेंट।

वैधानिक चेतावनी – धारा 179(1) बीएनएसएस के तहत आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। इस नोटिस का पालन न करने या साक्ष्य छिपाने की स्थिति में आपके विरूद्ध भारतीय न्याय संहित 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती हैं।

नोट :– यदि आप 15 वर्ष से कम आयु के बालक या 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष या महिला हैं या दिव्यांग अथवा गंभीर बीमार व्यक्ति हैं तो सुविधाजनक स्थान पर अपने बयान दर्ज करवाने हेतु सूचित करें, जिससे प्रकरण में अग्रीम अनुसंधान किया जा सकें।

(चन्द्र प्रकाश चौधरी)
अनुसंधान अधिकारी एवं थानाधिकारी
साईबर पुलिस थाना,
सहायक पुलिस आयुक्त,
साईबर काईम, पुलिस आयुक्तालय जयपुर
मोबाईल नम्बर – 9928301371

Assistant Commissioner of Police
Cyber Cell, Police Commissonerate
Jaipur

कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त, साईबर काईम, पुलिस आयुक्तालय जयपुर

क्रमांक 199 दिनांक 8/6/26

नोटिस अंतर्गत धारा 94 / 179 बीएनएसएस 2023

SUNIL KUMAR
KALICHARAN GARG
Plot No. C - 19, Flat No. - S - 1,
Amrapali Nagar Dhawas Panchyawala,Jaipur

विषय :– बीएनएसएस 2023 की धारा 94 / 179 के अंतर्गत उपस्थिति एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिकारिक नोटिस

प्रसंग :– अभियोग संख्या 59 / 2026 अंतर्गत धारा 319(2), 318(4), 316(2), 61(2)(b) बीएनएस 2023 एवं 66D आईटी एक्ट साईबर पुलिस थाना, पुलिस आयुक्तालय जयपुर।

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता हैं कि साईबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले के अनुसंधान के दौरान तकनीकी साक्ष्यो से यह स्पष्ट हुआ हैं कि आपके नाम पर पंजीकृत **मोबाईल नम्बर 7877822109** का उपयोग संदेहास्पद गतिविधियों में किया गया हैं। चूंकि आप उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं, इसलिए बीएनएसएस 2023 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं :–

उपस्थित (धारा 179 बीएनएसएस) आप नोटिस प्राप्ति के 05 योम कार्य दिवस में व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराएं।

साक्ष्य प्रस्तुतीकरण (धारा 94 बीएनएसएस) आप अपने साथ निम्नलिखित डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज अनिवार्य रूप से लाएं :– 1. उक्त सिम कार्ड और वह मोबाईल हैंडसेट (आईएमईआई सहित) जिसमे इसका उपयोग किया गया था। 2. केवाईसी दस्तावेज (आधार कार्ड / वोटर आईडी आदि) 3 उक्त मोबाईल नम्बर से जुडे बैंक खातों या वॉलेट (यूपीआई) का विवरण / स्टेटमेंट।

वैधानिक चेतावनी – धारा 179(1) बीएनएसएस के तहत आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। इस नोटिस का पालन न करने या साक्ष्य छिपाने की स्थिति में आपके विरूद्ध भारतीय न्याय संहित 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती हैं।

नोट :– यदि आप 15 वर्ष से कम आयु के बालक या 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष या महिला हैं या दिव्यांग अथवा गंभीर बीमार व्यक्ति हैं तो सुविधाजनक स्थान पर अपने बयान दर्ज करवाने हेतु सूचित करें, जिससे प्रकरण में अग्रीम अनुसंधान किया जा सकें।

(चन्द्र प्रकाश चौधरी)
अनुसंधान अधिकारी एवं थानाधिकारी
साईबर पुलिस थाना,
सहायक पुलिस आयुक्त,
साईबर काईम, पुलिस आयुक्तालय जयपुर
मोबाईल नम्बर – 9928301371

Assistant Commissioner of Police
Cyber Cell, Police Commissonerate
Jaipur

कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त, साईबर काईम, पुलिस आयुक्तालय जयपुर

दिनांक 8/1/26

क्रमांक – 175

नोटिस अंतर्गत धारा 94 / 179 बीएनएसएस 2023

SUNIL KUMAR
KALICHARAN GARG
Plot No C - 19, Flat No - S - 1, Amrapali Nagar,
Panchyawala Dhawas Panchyawala, Jaipur

विषय :– बीएनएसएस 2023 की धारा 94 / 179 के अंतर्गत उपस्थिति एवं साक्ष्य / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अधिकारिक नोटिस

प्रसंग :– अभियोग संख्या 59 / 2026 अंतर्गत धारा 319(2), 318(4), 316(2), 61(2)(b) बीएनएस 2023 एवं 66D आईटी एक्ट साईबर पुलिस थाना, पुलिस आयुक्तालय जयपुर।

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता हैं कि साईबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले के अनुसंधान के दौरान तकनीकी साक्ष्यो से यह स्पष्ट हुआ हैं कि आपके नाम पर पंजीकृत **मोबाईल नम्बर 6376170410** का उपयोग संदेहास्पद गतिविधियों में किया गया हैं। चूंकि आप उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं, इसलिए बीएनएसएस 2023 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं :–

उपस्थित (धारा 179 बीएनएसएस) आप नोटिस प्राप्ति के 05 योम कार्य दिवस में व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराएं।

साक्ष्य प्रस्तुतीकरण (धारा 94 बीएनएसएस) आप अपने साथ निम्नलिखित डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज अनिवार्य रूप से लाएं :– 1. उक्त सिम कार्ड और वह मोबाईल हैंडसेट (आईएमईआई सहित) जिसमे इसका उपयोग किया गया था। 2. केवाईसी दस्तावेज (आधार कार्ड / वोटर आईडी आदि) 3 उक्त मोबाईल नम्बर से जुडे बैंक खातों या वॉलेट (यूपीआई) का विवरण / स्टेटमेंट।

वैघानिक चेतावनी – धारा 179(1) बीएनएसएस के तहत आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। इस नोटिस का पालन न करने या साक्ष्य छिपाने की स्थिति में आपके विरूद्ध भारतीय न्याय संहित 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती हैं।

नोट :– यदि आप 15 वर्ष से कम आयु के बालक या 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष या महिला हैं या दिव्यांग अथवा गंभीर बीमार व्यक्ति हैं तो सुविधाजनक स्थान पर अपने बयान दर्ज करवाने हेतु सूचित करें, जिससे प्रकरण में अग्रीम अनुसंधान किया जा सकें।

(चन्द्र प्रकाश चौधरी)
अनुसंधान अधिकारी एवं थानाधिकारी
साईबर पुलिस थाना,
सहायक पुलिस आयुक्त,
साईबर काईम, पुलिस आयुक्तालय जयपुर
मोबाईल नम्बर – 9928301371

Assistant Commissioner of Police
Cyber Cell, Police Commissonerate
Jaipur

कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त, साईबर क्राईम, पुलिस आयुक्तालय जयपुर

क्रमांक [illegible] दिनांक [illegible]

नोटिस अंतर्गत धारा 94 / 179 बीएनएसएस 2023

SUNIL KUMAR
KALICHARAN GARG
Plot No. C 19, Flat No. S 1, Amrapali Nagar
Panchyawala Dhawas Panchyawala Jaipur

विषय :– बीएनएसएस 2023 की धारा 94 / 179 के अंतर्गत उपस्थिति एवं साक्ष्य [illegible] प्रस्तुत करने हेतु अधिकारिक नोटिस

प्रसंग :– अभियोग संख्या 59 / 2026 अंतर्गत धारा 319(2), 318(4), 316(2), 61(2)(b) बीएनएस 2023 एवं 66D आईटी एक्ट साईबर पुलिस थाना पुलिस आयुक्तालय जयपुर

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि साईबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में अनुसंधान के दौरान तकनीकी साक्ष्यो से यह स्पष्ट हुआ है कि आपके नाम पर पंजीकृत **मोबाईल नम्बर 6376170410** का उपयोग संदेहास्पद गतिविधियों में किया गया है। चूंकि आप उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियो से परिचित प्रतीत होते हैं, इसलिए बीएनएसएस 2023 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं :–

उपस्थित (धारा 179 बीएनएसएस) आप नोटिस प्राप्ति के 05 दिवस में कार्य दिवस में व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराए।

साक्ष्य प्रस्तुतीकरण (धारा 94 बीएनएसएस) आप अपने साथ निम्नलिखित डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज अनिवार्य रूप से लाए :– 1. उक्त सिम कार्ड और वह मोबाईल हैंडसेट (आईएमईआई सहित) जिसमे इसका उपयोग किया गया था। 2. केवाईसी दस्तावेज (आधार कार्ड / वोटर आईडी आदि) 3. उक्त मोबाईल नम्बर से जुडे बैंक खातों या वॉलेट (यूपीआई) का विवरण / स्टेटमेंट।

वैधानिक चेतावनी – धारा 179(1) बीएनएसएस के तहत आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। इस नोटिस का पालन न करने या साक्ष्य छिपाने की स्थिति में आपके विरुद्ध भारतीय न्याय संहित 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

नोट :– यदि आप 15 वर्ष से कम आयु के बालक या 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष या महिला हैं या दिव्यांग अथवा गंभीर बीमार व्यक्ति हैं तो सुविधाजनक स्थान पर अपने बयान दर्ज करवाने हेतु सूचित करें, जिससे प्रकरण में अग्रीम अनुसंधान किया जा सकें।

(चन्द्र प्रकाश चौधरी)
अनुसंधान अधिकारी एवं थानाधिकारी
साईबर पुलिस थाना
सहायक पुलिस आयुक्त
साईबर क्राईम, पुलिस आयुक्तालय जयपुर
मोबाईल नम्बर – 9928301371

Assistant Commissioner of Police
Cyber Cell, Police Commissonerate
Jaipur